राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर – 126/2012

1. रामकुमार पुत्र बिहारी
2. भीम सिंह पुत्र बिहारी
   जाति अहीर (यादव) निवासी शिमला तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
3. मृतका भगवती पुत्री बिहारी

3/1. सत्यवरत पुत्र भगवती
3/2. सुखदा पुत्री भगवती
3/3. यजदा आर्य पुत्री भगवती
3/4. शारदा पुत्री भगवती
3/5. सुमन पुत्री भगवती
3/6. बरदा पुत्री भगवती
} जाति अहीर (यादव) निवासी फैजपुर तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़, हरि0

3/7. मृतका यशदा पुत्री भगवती

3/7/1. स्नेहवती आर्य पुत्री यशदा
3/7/2. सौभाग्यती पुत्री यशदा
} जाति अहीर (यादव) निवासी मोहनपुर तहसील अटेली, हरि0

.... वादीगण

<u>ब–ना–म</u>

1. बलबीर पुत्र श्योलाल
2. लालचन्द पुत्र श्योलाल
3. संतरा
4. लाली
5. संतोष
   } पुत्रियान श्योलाल
6. रामभरोश पुत्र उदमी
7. मुन्नी
8. संतोष
9. श्रवण
   } पुत्रियान उदमी
10. कोयली देवी पत्नी भोलाराम
11. सुरेश पुत्र भोलाराम
12. सुमन पुत्री भोलाराम
13. हनुमान पुत्र बंशी
14. धोलिया पुत्र सोनिया नवीरा बुजन
15. यादराम पुत्र सोनिया नवीरा [illegible] निवासीगण शिमला तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू, राज0
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.01 14:47:24 IST
Reason: SelfAttested

..........प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with CamScanner

दावा– खाता विभाजन

–: निर्णय :– **दिनांक 28–06–2022**

उपर्युक्त उनवानी प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 06–07–2018 को प्राथमिक डिक्री का निर्णय पारित किया गया कि वाके ग्राम शिमला तहसील खेतड़ी स्थित भूमि खाता सं. 286 के खसरा नंबर 804, 805, 959, 960, 1452, 1901, 1995, 1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2123 कुल किता 13 कुल रकबा 3.37 है. भूमि में वादीगण का 1/4 हिस्से की भूमि का खाता विभाजन कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। पक्षकारान के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से व मौके पर कब्जा काश्त तथा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तों सम्बन्धी राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 6.11.2004 को मध्य नजर रखते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार कर यथाशीघ्र भिजवाने हेतु तहसीलदार, खेतड़ी को तहरीर जारी की गई। तहसीलदार (भू.अ.), खेतड़ी ने अपने पत्र क्रमांकः भू.अ./2021/कैम्प/718 दिनांक 27.10.2021 से न्यायालय के निर्णयानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये गये जो शामिल पत्रावली किये गये।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त वाद पत्र के प्रतिवादी सं. 6 से 15 ने एक पश्चात् वर्ती वाद संख्या 130/2012 बउनवानी रामभरोस आदि बनाम रामकुमार आदि बाबत घोषणात्मक, खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 13.07.2012 को पेश किया था जिसे वादी/प्रतिवादी सं. 1 रामकुमार के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 जा.दी. स्वीकार किये जाने पर वाद संख्या 130/2012 को वाद संख्या 126/2012 के साथ दिनांक 03.06.2013 को संकलित किया गया। वादग्रस्त भूमि बाबत न्यायालय हाजा द्वारा प्राथमिक डिक्री का निर्णय दिनांक 06–07–2018 को प्रसारित किया गया था जिसकी अनुपालना में तहसीलदार (भू.अ.) खेतड़ी ने राजस्व रिकार्ड व मौके पर कब्जा काश्त की स्थिति अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाये हैं जिसमें वाद संख्या 130/2012 के वादी सं. 1, 5 से 9 व प्रतिवादी स. 9 का खाते के अन्य शेष खातेदारों के साथ अलग से खाता संयुक्त रखते हुए तथा उक्त वाद संख्या 126/2012 के वादीगण का खाता अलग से संयुक्त रखते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाये हैं जो शामिल मिसल हैं। वाद सं. 130/2012 के वादी सं. 2 से 4 का हिस्सा हकत्याग के जरिये वादी [illegible] में मर्ज हो गया है तथा वादी सं. 5 व 6 का घोषणात्मक अनुतोष फौतगी विरासत से प्राप्त हो चुका है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.01 14:47:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with CamScanner

बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान विभाजन प्रस्ताव पर सुनी गई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान ने तहसीलदार, खेतड़ी द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 27–10–2021 के अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 27–10–2021 (प्रदर्श–''अ–1 लगा. अ–7'' व ''ब'') का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 27–10–2021 (प्रदर्श–''अ–1 लगा. अ–7'' व ''ब'') के अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 27–10–2021 (प्रदर्श–''अ–1 लगा. अ–7'' व ''ब'') के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 27–10–2021 (प्रदर्श–''अ–1 लगा. अ–7'' व ''ब'') इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगें। तहसीलदार खेतड़ी पक्षकारान के निवेदन पर प्रदर्श–''ब'' के अनुसार सीमांकन करवायेंगे। वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी की होने से वाद संख्या 130/2012 के वादीगण का स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष न्यायोचित नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। उक्तानुसार अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय व डिक्री की एक सत्यप्रति वाद संख्या 130/2012 उनवानी रामभरोस आदि बनाम रामकुमार आदि में संलग्न की जावे।

निर्णय आज दिनांक 28–06–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.01 14:47:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

उनवान

1. रामकुमार पुत्र बिहारी
2. भीम सिंह पुत्र बिहारी
   जाति अहीर (यादव) निवासी शिमला तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
3. मृतका भगवती पुत्री बिहारी

3/1. सत्यवरत पुत्र भगवती
3/2. सुखदा पुत्री भगवती
3/3. यजदा आर्य पुत्री भगवती
3/4. शारदा पुत्री भगवती
3/5. सुमन पुत्री भगवती
3/6. बरदा पुत्री भगवती
} जाति अहीर (यादव) निवासी फैजपुर तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़, हरि0

3/7. मृतका यशदा पुत्री भगवती

3/7/1. स्नेहवती आर्य पुत्री यशदा
3/7/2. सौभाग्यती पुत्री यशदा
} जाति अहीर (यादव) निवासी गोहनपुर तहसील अटेली, हरि0

ब–ना–म

1. बलबीर पुत्र श्योलाल
2. लालचन्द पुत्र श्योलाल
3. संतरा
4. लाली
5. संतोष
   } पुत्रियान श्योलाल
6. रामभरोश पुत्र उदमी
7. मुन्नी
8. संतोष
9. श्रवण
   } पुत्रियान उदमी
10. कोयली देवी पत्नी भोलाराम
11. सुरेश पुत्र भोलाराम
12. सुमन पुत्री भोलाराम
13. हनुमान पुत्र बंशी
14. धोलिया पुत्र सोनिया नवीरा बुजन
15. यादराम पुत्र सोनिया नवीरा बुजन समस्त ज[illegible] निवासीगण शिमला तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.01 14:47:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with CamScanner

दावा बाबत **खाता विभाजन**

मुकदमा नम्बर :– **126/2012**

निर्णय दिनांक :– **28–06–2022**

वादीगण की ओर से **श्री विश्वनाथ अग्रवाल एडवोकेट** की व प्रतिवादीगण की ओर से **श्री रोशनलाल सैनी एडवोकेट** की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **28–06–2022** को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

"अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 27–10–2021 (प्रदर्श–"अ–1 लगा. अ–7" व "ब") के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 27–10–2021 (प्रदर्श–"अ–1 लगा. अ–7" व "ब") इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगें। तहसीलदार खेतड़ी पक्षकारान के निवेदन पर प्रदर्श–"ब" के अनुसार सीमांकन करवायेंगे। वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी की होने से वाद संख्या 130/2012 के वादीगण का स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष न्यायोचित नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख **28–06–2022** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.01 14:47:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner